केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

के वि वि आयोग CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं.246/टीएल/2023 दिनांक: 28.11.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड, टी–15 ए, तृतीय तल, सैल्कन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली–110017 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "फेस III–भाग ए3 ("परियोजना") के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" की स्थापना के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	फतेहगढ़ 3– भड़ला–3 400केवी डी/सी लाइन के दोनों सिरों पर प्रत्येक सर्किट के लिए 63 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ फतेहगढ़ 3–भड़ला–3 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड) • 400 केवी 63 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 4 नंबर • 400 केवी 63 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण – 4 नंबर • 400 केवी लाइन बे भड़ला–3 सबस्टेशन एवं फतेहगढ़–3 सबस्टेशन– 4 नंबर (2+2)	18 माह

नोट:

(i) फतेहगढ़–3 सबस्टेशन (नया सेक्शन) का विकासकर्ता फतेहगढ़–3 पर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(ii) भड़ला–3 सबस्टेशन का विकासकर्ता भड़ला–3 पर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 627.54 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 8.9.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 246/टीएल/2023 में दिनांक 26.11.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.apraava.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हों, को उक्त पते पर दिनांक **6.12.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **8.12.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव